

प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सबके लिए और सभी देशवासियों के लिए, इतना ही नहीं, विश्व के लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए भी यह बहुत ही गौरव का पल है। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का यह अवसर है।

संविधान के 75 वर्ष की यात्रा, यादगार यात्रा, और विश्व के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की यात्रा के मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दीर्घ दृष्टि, हमारे संविधान निर्माताओं का योगदान रहा है और जिसको लेकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं।

संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव मनाने का यह पल है। मेरे लिए खुशी की बात है कि संसद भी इस उत्सव में शामिल होकर अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है। मैं सभी माननीय सांसदों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस उत्सव में हिस्सा लिया। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, 75 वर्ष की यह उपलब्धि साधारण नहीं है, असाधारण है। जब देश आजाद हुआ, उस समय भारत के लिए जो-जो संभावनाएं व्यक्त की गयी थीं, उन सभी संभावनाओं को निरस्त करते हुए, परास्त करते हुए, भारत का संविधान हमें यहां तक ले आया है।

18.00 hrs

इसलिए इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं के साथ-साथ मैं देश के कोटि-कोटि नागरिकों को आदरपूर्वक नमन करता हूँ, जिन्होंने इस भावना को, इस नई व्यवस्था को जीकर के दिखाया है। संविधान निर्माताओं की जो भावनाएं थीं, उसको जीने में पिछले 75 सालों से भारत का नागरिक हर कसौटी पर खरा उतरा है। इसलिए भारत का नागरिक सर्वाधिक अभिनन्दन का अधिकारी है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान निर्माता इस बात पर बहुत सजग थे, वे यह नहीं मानते थे कि भारत का जन्म 1947 में हुआ है। वे यह नहीं मानते थे कि भारत में लोकतंत्र 1950 से आ रहा है। वे यहां की महान परंपरा को, महान संस्कृति को, महान विरासत को और हजारों साल की उस यात्रा को मानते थे, उसके प्रति वे सजग थे। उनको इस बात का पूरा भान था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत का लोकतंत्र, भारत का गणतान्त्रिक अतीत बहुत ही समृद्ध रहा

है। विश्व के लिए प्रेरक रहा है। तभी तो भारत आज 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' के रूप में जाना जाता है। हम सिर्फ विशाल लोकतंत्र हैं, इतना नहीं है, हम लोकतंत्र की जननी हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जब यह कह रहा हूँ तो मैं तीन महापुरुषों के कोट इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी, चूँकि मैं संविधान सभा के अंदर हुई चर्चा का उल्लेख कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था :

“सदियों के बाद हमारे देश में एक बार फिर ऐसी बैठक बुलाई गई है। यह हमारे मन में अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। जब हम स्वतंत्र हुआ करते थे, जब सभाएं आयोजित की जाती थीं, जिसमें विद्वान लोग देश के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए मिला करते थे।”

मैं दूसरा कोट डॉ. राधाकृष्णन जी का पढ़ रहा हूँ। वे भी संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने कहा था :

“इस महान राष्ट्र के लिए गणतांत्रिक व्यवस्था नई नहीं है। हमारे यहां यह इतिहास के शुरुआत से ही है।”

तीसरा कोट मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पढ़ रहा हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था :

“ऐसा नहीं है कि भारत को पता नहीं था कि लोकतंत्र क्या होता है। एक समय था, जब भारत में कई गणतंत्र हुआ करते थे। ”

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे संविधान के निर्माण प्रक्रिया में, हमारे देश की नारी शक्ति ने संविधान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी।

संविधान सभा में 15 माननीय महिला सदस्य थीं और सक्रिय सदस्य थीं। मौलिक चिंतन के आधार पर उन्होंने संविधान सभा की डिबेट को समृद्ध किया था और वे सभी बहनें अलग-अलग बैकग्राउंड से थीं, अलग-अलग क्षेत्र की थीं और संविधान में उन्होंने जो-जो सुझाव दिए, उन सुझावों का संविधान के निर्माण पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा था। हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया के कई देश

आजाद भी हुए, संविधान भी बने, लोकतंत्र भी चला, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने में दशकों बीत गए, लेकिन हमारे यहां शुरुआत से ही महिलाओं को वोट का अधिकार संविधान में दिया गया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब G20 समिट हुई, उसी भावना को आगे को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि संविधान की भावना को लेकर हम सब जीने वाले लोग हैं, हमने G20 की अध्यक्षता के दौरान विश्व के सामने वीमेन लेड डेवलपमेंट का विचार रखा था। विश्व के अंदर वीमेन डेवलपमेंट से अब आगे जाने की जरूरत है और इसलिए हमने वीमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, हम सभी सांसदों ने मिल कर एक स्वर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके, हमारी महिला शक्ति को भारतीय लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने कदम उठाए।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हम देख रहे हैं कि हर बड़ी योजना के सेंटर में महिलाएं होती हैं और जब हम संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं। यह संयोग है और अच्छा संयोग है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला विराजमान हैं। यह हमारे संविधान की भावना की अभिव्यक्ति भी है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में भी लगातार हमारे महिला सांसदों की संख्या बढ़ रही है, उनका योगदान भी बढ़ रहा है, मंत्रिपरिषद में भी उनका योगदान बढ़ रहा है। आज सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल-कूद का क्षेत्र हो, क्रिएटिव वर्ल्ड की दुनिया हो, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान, महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश के लिए गौरव दिलाने वाला रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में खास कर स्पेस टेक्नोलॉजी में उनके योगदान की सराहना हर हिन्दुस्तानी बड़े गर्व के साथ कर रहा है। इन सबकी सबसे बड़ी प्रेरणा हमारा संविधान है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है और इतना ही नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, हम इस देश को विकसित भारत बनाकर रहेंगे। यह हर भारतीय का संकल्प है। यह हर भारतीय का सपना है, लेकिन इस संकल्प से सिद्धि के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह है भारत की एकता।

हमारा संविधान भी भारत की एकता का आधार है। हमारे संविधान के निर्माण कार्य में इस देश

के बड़े-बड़े दिग्गज थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, साहित्यकार थे, विवेचक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, शिक्षाविद थे, कई फील्ड के प्रोफेशनल्स थे, मजदूर नेता थे, किसान नेता थे। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था और सब के सब भारत की एकता के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्र से आए हुए, देश के अलग-अलग भू-भाग से आए हुए सभी लोग इस बात के प्रति सजग थे और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने चेताया था। मैं बाबा साहेब का क्वोट पढ़ रहा हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था:

“समस्या यह है कि देश में जो विविधता से भरा जनमानस है, उसे किस तरह एकमत किया जाए, कैसे देश के लोगों को एक दूसरे के साथ होकर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि देश में एकता की भावना स्थापित हो। ”

आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना है कि आज़ादी के बाद एक तरफ संविधान निर्माताओं के दिल-दिमाग में एकता थी, लेकिन आज़ादी के बाद विकृत मानसिकता के कारण या स्वार्थवश अगर सबसे बड़ा प्रहार हुआ था तो देश की एकता के मूल भाव पर प्रहार हुआ। विविधता में एकता – यह भारत की विशेषता रही है। हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं और इस देश की प्रगति भी विविधता को सेलिब्रेट करने में है। लेकिन गुलामी की मानसिकता में पले-बढ़े लोगों ने, भारत का भला न देख पाने वाले लोगों ने, और जिनके लिए हिन्दुस्तान 1947 में ही पैदा हुआ, उनके लिए यह जो धारणा बन गई थी, वे विविधता में विरोधाभास ढूंढते रहे। इतना ही नहीं, विविधता हमारा अमूल्य खजाना है, उसको सेलिब्रेट करने के बजाय उस विविधता में ऐसे जहरीले बीज बोने के प्रयास करते रहे, ताकि देश की एकता को चोट पहुंचे।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें विविधता का उत्सव हमारे जीवन का अंग बनाना होगा और वही बाबा साहेब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं संविधान के प्रकाश में ही अपनी बातों रखना चाहता हूँ और इसलिए अगर आप हमारी नीतियों को देखेंगे, पिछले दस साल देश की जनता ने हमें जो सेवा करने का मौका दिया है, हमारे निर्णयों की प्रक्रिया को देखेंगे तो भारत की एकता को मजबूती देने का निरंतर हम प्रयास करते रहे हैं। आर्टिकल 370 देश की एकता में

रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा था। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी, जो कि हमारे संविधान की भावना थी और इसीलिए आर्टिकल 370 को हमने जमीन में दबा दिया, क्योंकि देश की एकता हमारी प्राथमिकता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इतने बड़े विशाल देश में अगर आर्थिक रूप से हमें आगे बढ़ना है, हमारी व्यवस्थाओं को, और विश्व को भी निवेश के लिए आना है तो भारत में अनुकूल व्यवस्थाएं चाहिए।

उसी में से, हमारे देश में एक लम्बे अर्से तक जीएसटी को लेकर चर्चा चलती रही। मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक यूनिटी के लिए जीएसटी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। इसमें पहले की भी सरकार का कुछ योगदान है। वर्तमान समय में, हमको इसे आगे बढ़ाने का अवसर मिला और हमने इसको किया। वह भी 'वन नेशन, वन टैक्स' उस भूमिका को आगे बढ़ा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में राशन कार्ड गरीब के लिए एक बहुत मूल्यवान दस्तावेज़ रहा है। लेकिन अगर गरीब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था, तो वह कुछ भी प्राप्त करने का हकदार नहीं बनता था। इतना बड़ा देश है, वह इसके किसी भी कोने में जाए, उसका उतना ही अधिकार है। एकता के उस भाव को मजबूत करने के लिए हमने 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' की बात को मजबूती से रखा।

माननीय अध्यक्ष जी, देश के गरीब को, देश के सामान्य नागरिक को अगर मुफ्त में इलाज मिले, तो गरीबी से लड़ने की उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। लेकिन उसके लिए जहाँ वह काम करता है, वहाँ पर तो यह सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर किसी कामवश वह बाहर गया है और वहाँ पर वह जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ता हो, तो ऐसे समय में उसको सुविधा नहीं मिलेगी, तो व्यवस्था किस काम की? इसलिए देश की एकता के मंत्र को जीने वाले हम लोगों ने यह तय किया कि 'वन नेशन, वन हेल्थ कार्ड' हो। इसलिए हमने आयुष्मान भारत योजना बनाई।

आज बिहार के दूर-दराज के क्षेत्र का व्यक्ति भी अगर पुणे में कोई काम कर रहा है और वह अचानक बीमार हो गया, तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड होना एनफ है, उसे इसकी सेवा मिल सकती है।

माननीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं, देश में कई बार ऐसा हुआ है कि देश के एक हिस्से में बिजली थी, लेकिन बिजली सप्लाई नहीं हो रही थी, इसके कारण दूसरे इलाकों में अंधेरा था। पिछली सरकार में, विश्व के अन्दर भारत की बदनामी, अंधेरे को लेकर हेडलाइंस से हुआ करती थी। वह दिन हमने देखे हैं। तब जाकर एकता के मंत्र को ले करके, संविधान की भावना को जीने वाले हम लोगों ने 'वन नेशन, वन ग्रिड' को परिपूर्ण कर दिया। इसलिए आज बिजली के प्रवाह को निर्विरोध रूप से हिन्दुस्तान के हर कोने में ले जाया जा सकता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भेदभाव की बू आती रही है। हमने उसे मिटाकर, देश की एकता को ध्यान में रखते हुए, एक संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए हमने उस भेदभाव की भावना को खत्म करते हुए एकता को मजबूत किया। नॉर्थ-ईस्ट हो या जम्मू-कश्मीर हो, हिमालय की गोद के इलाके हों या रेगिस्तान के सटे हुए इलाके हों, हमने पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सामर्थ्य देने का प्रयास किया है ताकि एकता के भाव में, अभाव के कारण कोई दूरी पैदा न हो। हमने उसे बदलने का काम किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, युग बदल चुका है। हम नहीं चाहते हैं कि डिजिटल के क्षेत्र में हैक्स एंड हैव नॉट्स की स्थिति बन जाए। इसलिए हम दुनिया के अन्दर बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भारत के डिजिटल इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी है, उसका एक कारण है कि हमने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का प्रयास किया है। उसी का भाग है, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिशा दिखाई है कि हमने ऑप्टिकल फाइबर हिन्दुस्तान की हर पंचायत तक ले जाने का प्रयास किया है ताकि भारत की एकता को मजबूती देने में हमें ताकत मिले।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे संविधान की अपेक्षा है एकता की। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मातृभाषा के महात्म्य को स्वीकारा है। मातृभाषा को दबा करके हम देश के जन-मानस को संस्कारित नहीं कर सकते हैं।

इसलिए, हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी मातृभाषा पर बहुत बल दिया है। ... (व्यवधान) अब मेरे देश के गरीब का बच्चा भी मातृभाषा में डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि हमारा

संविधान उन सबके पीछे है, उन सबकी दरकार करने का हमें आदेश देता है। इतना ही नहीं, हमने क्लासिकल लैंग्वेज की दिशा में भी, कई लैंग्वेजेज़, जिनका हक बनता था, उनको हमने उस स्थान पर रखकर उनका सम्मान किया था। देश भर में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का अभियान देश की एकता को मजबूत और नई पीढ़ी को संस्कारित करने का काम हमारी तरफ से चल रहा है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, काशी तमिल संगमम और काशी तेलुगू संगमम आज बहुत बड़े रूप में इंस्टिट्यूशनलाइज़ हुआ है। समाज की निकटता को मजबूती देने का एक सांस्कृतिक प्रयास भी हमारा चलता रहा है, क्योंकि उसका कारण यही है कि संविधान की पूर्ण धारा में भारत की एकता का महात्म्य स्वीकार किया गया है और उसको हमें बल देना चाहिए।

आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है। ज़रा हम इतिहास की तरफ नज़र करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ावों में क्या हुआ था? जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोंच लिया गया, इमरजेंसी, आपातकाल लाया गया। ... (व्यवधान) संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। ... (व्यवधान) देश को जेलखाना बना दिया गया। ... (व्यवधान) नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया। ... (व्यवधान) प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए। कांग्रेस के माथे पर यह जो पाप है, वह कभी भी धुलने वाला नहीं है। ... (व्यवधान) दुनिया में जब-जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का यह पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब 50 साल हुए, तब क्या भुला दिया गया था? जी, नहीं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और 26 नवंबर, 2000 को देश भर में संविधान का 50वां वर्ष मनाया गया था। ... (व्यवधान) श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री के नाते राष्ट्र को एक विशेष संदेश दिया था। एकता, जनभागीदारी, साझेदारी, उसके महत्व पर बल देते हुए उन्होंने संविधान की भावना को जीने का प्रयास किया था, जनता को जगाने का भी प्रयास किया था।

अध्यक्ष जी, जब देश संविधान का 50वां वर्ष मना रहा था और जब 50 वर्ष की पूर्णाहुति हुई, तो यह मेरा भी सौभाग्य था कि मुझे भी संविधान की प्रक्रिया से मुख्य मंत्री बनने का अवसर मिल गया था। ... (व्यवधान) मैं जब मुख्य मंत्री था, उसी कार्यकाल में संविधान के 60 साल पूरे हुए और तब मैंने मुख्य मंत्री के नाते तय किया था कि हम गुजरात में संविधान के 60 साल मनाएंगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब संविधान के ग्रंथ को हाथी पर बनाई हुई अम्बाड़ी में रखा गया हो, उसे विशेष व्यवस्था में रखा गया हो। ... (व्यवधान) हाथी पर संविधान गौरव यात्रा निकाली गई और राज्य का मुख्य मंत्री उस संविधान के नीचे हाथी के बगल में पैदल चल रहा था और देश को संविधान का महात्म्य समझाने का सांकेतिक प्रयास कर रहा था।

अध्यक्ष जी, यह सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए संविधान का क्या महात्म्य है। आज 75 साल हुए और हमें अवसर मिला। मुझे याद है जब मैंने लोक सभा के पुराने सदन के अंदर 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाने की बात कही थी, तब एक वरिष्ठ नेता ने सामने से आवाज उठाई थी कि 26 जनवरी तो है, 26 नवम्बर मनाने की क्या जरूरत है। क्या भावना घर कर गई थी, यह बहुत पुरानी बात नहीं है। इसी सदन में मेरे सामने हुआ था। मेरे लिए यह खुशी की बात है कि इस विशेष सत्र में अच्छा होता कि संविधान की शक्ति, संविधान की विविधताओं पर चर्चा होती और नई पीढ़ी के काम आता, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी-अपनी मजबूरियां होती हैं। हर कोई अपना दुख किसी न किसी रूप में प्रकट करता रहता है। कई लोगों ने अपनी विफलताओं का दुख प्रकट किया है। अच्छा होता दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश हित में संविधान की चर्चा हुई होती, तो देश की नई पीढ़ी को स्मृति मिलती।

अध्यक्ष जी, मैं संविधान के प्रति विशेष आदर का भाव व्यक्त करना चाहता हूं। इस संविधान की भावना थी कि मेरे जैसे अनेक लोग, जो यहां पहुंच नहीं पाते। यह संविधान था, जिसके कारण हम पहुंच पाए, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था। हम यहां तक कैसे आते? यह संविधान का सामर्थ्य था। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इतना बड़ा दायित्व निभाने का मुझे मौका मिला। मेरे जैसे बहुत लोग यहां भी हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है और वे सामान्य परिवार से आए हैं और आज संविधान

ने हमें यहां तक पहुंचाया है। यह भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें देश ने इतना स्नेह दिया है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि तीन बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। यह हमारे संविधान के बिना संभव नहीं था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, उतार-चढ़ाव तो आए, कठिनाइयां भी आईं, रुकावटें भी आईं, लेकिन मैं एक बार फिर देश की जनता को नमन करता हूँ कि देश की जनता पूरी ताकत के साथ संविधान के साथ खड़ी रही। मैं आज यहां किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाहता हूँ लेकिन तथ्यों को देश के सामने रखना जरूरी है और इसीलिए मैं तथ्यों को रखना चाहता हूँ। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है।... (व्यवधान) मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूँ कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है, इसलिए देश को क्या-क्या हुआ है, यह जानने का अधिकार है।...(व्यवधान) इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति - इसकी परम्परा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। ... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1947 से 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। एक अस्थायी व्यवस्था थी, एक सिलेक्टेड सरकार थी और चुनाव नहीं हुए थे। जब तक चुनाव न हों, तब तक एक इंटरिम व्यवस्था के रूप में कोई खाका खड़ा करना चाहिए, किया गया था। वर्ष 1952 के पहले राज्य सभा का भी गठन नहीं हुआ था। राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं हुआ था, जनता का कोई आदेश नहीं था। अभी-अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था। वर्ष 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने संविधान को बदला और क्या किया - अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला कर दिया गया। यह संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें तो संविधान सभा में नहीं आईं होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन, वहां उनकी चली नहीं, तो बाद में जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हथौड़ा मार दिया। यह संविधान निर्माताओं का घोर अपमान था। अपने मन की चीज़ें, जो संविधान सभा के अन्दर नहीं करवा पाए, उसे उन्होंने पिछले दरवाजे से किया, और यह भी कि वे चुनी हुई सरकार के प्रधान मंत्री नहीं थे।

उन्होंने पाप किया था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, उस दौरान उस समय के प्रधान मंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्य मंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं - 'अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए..' यह नेहरू जी लिख रहे हैं - 'अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए..' आगे नेहरू जी कह रहे हैं - '... तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए।' यह नेहरू जी ने मुख्य मंत्रियों को चिट्ठी लिखी। ... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह भी देखिए कि वर्ष 1951 में यह पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ने चेताया कि यह गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा कि आप गलत कर रहे हो। इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी, जय प्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू से कहा कि यह रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था। इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं, और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुँह लग गया कि समय-समय पर वह संविधान का शिकार करती रही। इसका खून मुँह पर लग गया।... (व्यवधान)

इतना ही नहीं, संविधान के स्प्रिट को लहू-लुहान करती रही।

आदरणीय अध्यक्ष जी, करीब छः दशकों में 75 बार संविधान बदला गया।... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बीज देश के पहले प्रधान मंत्री जी ने बोए थे, उस बीज को खाद-पानी देने का काम एक और प्रधान मंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। जो पाप पहले प्रधान मंत्री कर के गए और जो खून लग गया था, सन् 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। उस फैसले को संविधान बदल कर के पलट दिया गया और सन् 1971 में यह संविधान संशोधन किया गया था। वह क्या था? उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे। यहां पर यह कहा था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी पड़े, वह कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। यह पाप सन् 1971 में

उस समय की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था । ... (व्यवधान) इस परिवर्तन ने इंदिरा जी की सरकार को, मौलिक अधिकारों को छीनने और न्यायपालिका पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया, सक्षम बना दिया ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, खून मुंह पर लग गया था । कोई रोकने वाला था नहीं । इसलिए जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई तब उन्होंने गुस्से में आ कर देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया । ... (व्यवधान) अपनी कुर्सी बचाने के लिए। उसके बाद, इतना ही नहीं, उन्होंने इमरजेंसी तो लगाई, संविधान का दुरुपयोग तो किया ही किया, भारत के लोकतंत्र का गला तो घोट ही दिया, लेकिन सन् 1975 में 39वां संशोधन किया । उसमें उन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, अध्यक्ष आदि इनके चुनाव के खिलाफ कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता है, ऐसा उन्होंने किया और वह भी रेट्रोस्पेक्टिव किया । आगे के लिए नहीं, पीछे के लिए भी किया, अपने पापों को भी उन्होंने खत्म कर लिया । ... (व्यवधान) आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ । मैं संविधान के आगे-पीछे कुछ नहीं बोल रहा हूँ । ... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीन लिए गए । ... (व्यवधान) देश के हजारों लोगों को जेलों में ठूस दिया गया । न्यायपालिका का गला घोट दिया गया । अखबारों की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए । इतना ही नहीं, कमिटिड ज्यूडिशरी, इस विचार को उन्होंने पूरी ताकत दी ।

इतना ही नहीं, जिस जस्टिस एच.आर. खन्ना ने उनके खिलाफ जो जजमेंट दिया था, उससे इतना गुस्सा भरा था कि जब जस्टिस एच.आर.खन्ना जो सीनियोरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने थे,... (व्यवधान) जिन्होंने संविधान के सम्मान करते हुए, उस स्पिरिट से जजमेंट दी थी, उनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया गया ।... (व्यवधान) यह संविधान वाला लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हुआ ।... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां भी ऐसे कई दल बैठे हैं, जिनके सारे मुखिया भी जेल में हुआ करते

थे ।... (व्यवधान) यह इनकी मजबूरी है कि वहां जाकर बैठे हैं । उनको भी जेलों में ठूस दिया गया था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश पर जुल्म व तांडव चल रहा था । निर्दोष लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता था । लाठियाँ बरसायी जाती थीं । कई लोग जेलों में मौत के शरण हो गए थे और एक निर्दयी सरकार संविधान को चूर-चूर करती रही ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह परंपरा यहीं नहीं रूकी । जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जिसको दूसरे प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि खून मुंह पर लग गया था, इसलिए राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने । उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया । सबको समानता, सबको न्याय, उस भावना को चोट पहुंचायी ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का जजमेंट दिया था । भारत की एक महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पिरिट के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था । एक वृद्ध महिला को सुप्रीम कोर्ट से उसका हक मिला था, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो और सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया । उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया ।... (व्यवधान) उन्होंने न्याय के लिए तड़प रही एक वृद्ध महिला का साथ देने के बजाय कट्टरपंथियों का साथ दिया । संसद में कानून बना कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फिर एक बार पलट दिया गया ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, बात वहां तक नहीं अटकी है । नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया और राजीव जी ने उसको ताकत दी, खाद-पानी देने का काम किया, क्योंकि संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लहु उनके मुंह लग गया था ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, अगली पीढ़ी भी इसी खिलवाड़ में जुटी पड़ी है । एक किताब को मैं कोट कर रहा हूं । उस किताब में जो लिखा गया है, उस समय के प्रधानमंत्री, मेरे पहले जो प्रधानमंत्री थे, उनको कोट किया है । उन्होंने कहा है –‘मुझे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है ।’ यह मनमोहन सिंह जी ने कहा है, जो इस किताब में लिखा गया है–‘मुझे यह स्वीकार करना

होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है, सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है।' ... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इतिहास में पहली बार ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन मर्यादित तरीके से नहीं चलाना चाहते ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है । सदन के नेता बोल रहे हैं । आपको मर्यादा रखनी चाहिए । इस तरीके से सदन नहीं चलेगा । आपका यह तरीका गलत है ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रधान मंत्री जी ।

श्री नरेन्द्र मोदी : अध्यक्ष जी, इतिहास में पहली बार संविधान को ऐसी गहरी चोट पहुंचा दी गई । संविधान निर्माताओं ने, चुनी हुई सरकार और चुने हुए प्रधान मंत्री की कल्पना तक ही हमारा संविधान था, लेकिन इन्होंने तो प्रधान मंत्री के ऊपर एक गैर-संवैधानिक और जिसने कोई शपथ भी नहीं ली थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया । ... (व्यवधान) पीएमओ के ऊपर अघोषित दर्जा दे दिया गया ।... (व्यवधान) इतना ही नहीं, एक पीढ़ी और आगे चली । उस पीढ़ी ने क्या किया? भारत के संविधान के तहत देश की जनता, जनार्दन सरकार चुनती है और वह सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है । यह संविधान के तहत है ।... (व्यवधान) इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया ।... (व्यवधान) हर मौके पर संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना, यह इनकी आदत हो गई थी । अब दुर्भाग्य देखिए, एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे, यह कौन सी व्यवस्था है? ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, संविधान के साथ क्या हुआ, उसी की ही बात कर रहा हूं । उस समय करने वाले पात्रों को लेकर किसी को परेशानी होती होगी, लेकिन बात संविधान की है । मेरे मन के और मेरे विचारों को मैं अभिव्यक्त नहीं कर रहा हूं । ... (व्यवधान) कांग्रेस ने निरन्तर संविधान की अवमानना की, संविधान के महत्व को कम किया । ... (व्यवधान) कांग्रेस इसके अनेक उदाहरणों

से भरी पड़ी हुई है, संविधान के साथ धोखेबाजी कैसे करते थे, संवैधानिक संस्थाओं को कैसे नहीं मानते थे। ... (व्यवधान) इस देश में बहुत कम लोगों को मालूम होगा, अनुच्छेद 370 की तो सबको पता है, अनुच्छेद 35ए का पता बहुत कम है। संसद में आए बिना, जबकि संसद में आना पड़ता, संसद को ही अस्वीकार कर दिया गया। भारत के संविधान का अगर कोई पहला पुत्र है तो यह संसद है। उसका भी इन्होंने गला घोटने का काम किया। अनुच्छेद 35ए संसद में लाए बिना उन्होंने देश पर थोप दिया और अगर अनुच्छेद 35ए न होता, तो जम्मू-कश्मीर में जो हालत पैदा हुई, वह हालत पैदा न हुई होती। राष्ट्रपति के आदेश पर यह काम किया गया और देश की संसद को अंधेरे में रखा गया। यह संसद का अधिकार था। कोई अपनी मनमानी से नहीं कर सकता था।

उनके पास बहुमत था, वह कर सकते थे। लेकिन नहीं किया, क्योंकि पेट में पाप था। देश की जनता से छुपाना चाहते थे। इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जिनके प्रति आज सम्मान का भाव सभी कोई अनुभव कर रहा है और हम लोगों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि हम लोगों के जीवन में जो भी रास्ते मिले, वहीं से मिले।

आदरणीय अध्यक्ष जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति इतनी कटुता भरी थी, इतना द्वेष भरा था, आज मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जब अटल जी की सरकार थी, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो महापरिनिर्वाण भूमि है वहां अलीपुर रोड पर अटल जी की सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए स्मारक बनाना तय हुआ। दुर्भाग्य देखिए, दस वर्ष यूपीए की सरकार रही, उसने इस काम को नहीं किया और न होने दिया। जब हमारी सरकार आयी, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हमारी श्रद्धा होने के कारण हमने अलीपुर रोड पर बाबा साहब नेशनल मेमोरियल बनाया और उसका काम किया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में वर्ष 1992 में चन्द्रशेखर जी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री थे, उस समय एक 'अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर' बनाने का निर्णय किया, लेकिन वह दशकों तक कागजों पर ही पड़ा रहा, उसे नहीं किया गया। वर्ष 2015 में हमारी सरकार ने इस काम को पूरा किया। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम भी जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तब संभव हुआ।

इतना ही नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर की सवा साल जयंती पूरी दुनिया में मनायी गयी, विश्व के 120 देशों में मनाने का काम किया। लेकिन जब बाबा साहेब अम्बेडकर की शताब्दी थी तब बीजेपी की मध्य प्रदेश में अकेली सरकार थी, सुंदर लाल पटवा जी हमारे मुख्यमंत्री थे। 'महु' जहां बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, उसको स्मारक के रूप में पुनर्निर्माण करने का काम सुंदर लाल पटवा जी के मुख्यमंत्री के समय मध्य प्रदेश में हुआ था। शताब्दी के समय भी उनके साथ यही किया गया था।

हमारे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर एक दीर्घदृष्टा थे। समाज के दबे-कुचले लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध थे और एक लंबी सोच के साथ कि भारत को अगर विकसित होना है तो भारत का कोई अंग दुर्बल नहीं रहना चाहिए, यह चिंता बाबा साहेब को सताती थी, तब जाकर देश में आरक्षण की व्यवस्था हुई। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ न नुकसान करने का प्रयास किया। इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आरक्षण की कथा बहुत लंबी है, नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का घोर विरोध किया है। हिस्ट्री कह रही है, आरक्षण के विरोध में लंबी-लंबी चिट्ठियां स्वयं नेहरू जी ने लिखी।

मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखी हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने सदन में आरक्षण के खिलाफ लंबे-लंबे भाषण दिए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी समता के लिए और भारत में संतुलित विकास के लिए आरक्षण लेकर आए, उन्होंने उसके खिलाफ भी झंडा ऊंचा किया हुआ था। दशकों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को डिब्बे में डालकर रखा था। जब कांग्रेस को देश ने हटाया, जब कांग्रेस गई तब जाकर ओबीसी को आरक्षण मिला था, तब तक नहीं मिला था। ... (व्यवधान) यह कांग्रेस का पाप है। अगर उस समय मिला होता तो देश के अनेक पदों पर ओबीसी समाज के लोग देश की सेवा करते, लेकिन नहीं करने दिया, नहीं होने दिया। ... (व्यवधान) इन्होंने यह पाप किया था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हमारे यहां संविधान का निर्माण चल रहा था तब संविधान निर्माताओं ने, धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस विषय पर घंटों तक,

दिनों तक गहन चर्चा की, विचार-विमर्श किया और सबका मत बना कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म और संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। यह सुविचारित मत था। ऐसा नहीं था कि भूल गए थे या रह गया था, सोच-विचारकर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, कुछ जगह दे भी दिया और सुप्रीम कोर्ट से झटके लग रहे हैं। इसलिए अब दूसरे बहाने से बहाना बता रहे हैं कि यह करेंगे, वह करेंगे, मन में साफ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं और इसलिए खेल खेले जा रहे हैं। यह संविधान निर्माताओं की भावनाओं पर गहरी चोट करने का निर्लज्ज प्रयास है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सबने बोला है। यह तरीका ठीक नहीं है। आपके नेता ने बोला है, आपने भी बोला है। इस तरह से बैठे-बैठे बात न करें।

... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, एक और विषय ज्वलंत है, मैं इसकी भी चर्चा करना चाहता हूं। यह ज्वलंत विषय समान नागरिक संहिता, यूनिफार्म सिविल कोड है। यह विषय भी संविधान सभा के ध्यान से बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफार्म सिविल कोड को लेकर लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा जो भी सरकार चुनकर आए, वह उसका निर्णय करे और देश में यूनिफार्म सिविल कोड लागू करे। यह संविधान सभा का आदेश था। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो कहा था, जो लोग संविधान को समझते नहीं हैं, देश को समझते नहीं हैं, सत्ता भूख से बड़ा कुछ नहीं है, उनको पता नहीं है कि बाबा साहेब ने क्या कहा था। मैं बाबा साहेब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत।

आदरणीय अध्यक्ष जी, बाबा साहेब ने कहा था और धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की जोरदार वकालत की थी।

19.00 hrs

उस समय के सदस्य के.एम. मुंशी जी ने समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते, संविधान निर्माताओं की भावना को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से सेक्युलर सिविल कोड के लिए लगे हुए हैं। आज कांग्रेस के लोग संविधान निर्माताओं की भावना का भी, सुप्रीम कोर्ट की भावना का भी अनादर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति को वह सूट नहीं करता है। उनके लिए संविधान कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। उनके लिए वह राजनीति का एक हथियार है। खेल खेलने का हथियार बना दिया, लोगों को डराने के लिए संविधान को हथियार बनाया जाता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के लिए तो संविधान शब्द भी उनके मुंह में शोभा नहीं देता है, इसलिए जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के लिए लोकतांत्रिक स्पिरिट लगती है, जो इनकी रगों में नहीं है। सत्तावाद और परिवारवार भरा पड़ा है। आप देखिए कि शुरुआत ही कितनी गड़बड़ हुई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, not a single. संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रथम प्रधान मंत्री बनते, लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं और सरदार साहब देश के प्रधान मंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए थे। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वे कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं? ... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, जो लोग संविधान में लोगों के नाम ढूंढते रहते हैं, मैं जरा बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष हुआ करते थे और वे अति पिछड़े समाज से आते थे। अति पिछड़े समाज से आते हुए उनके अध्यक्ष श्रीमान् सीताराम केसरी जी थे। उनका कैसा अपमान किया गया, कहते हैं कि उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया गया। उन्हें उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ...

(व्यवधान) अपनी पार्टी के संविधान में ऐसा कभी नहीं लिखा गया, लेकिन अपनी पार्टी के संविधान को न मानना, लोकतंत्र की प्रक्रिया को न मानना और पूरी कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार ने कब्जा कर लिया गया। लोकतंत्र को नकार दिया। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, आपके सदस्यों ने क्या-क्या बोला था कि ठीक नहीं है? जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो सदन की मर्यादा को बनाए रखिए और ठीक परम्परा बनाइए।

... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : अध्यक्ष महोदय, संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान के स्प्रिट को तहस-नहस करना, यह कांग्रेस की रगों में रहा है। ... (व्यवधान) हमारे लिए संविधान, उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता हमारे लिए सर्वोपरि है। यह शब्दों में नहीं है, जब-जब हमें कसौटी पर कसा गया है, तब-तब हम तप करके निकले हुए लोग हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। वर्ष 1996 में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जीतकर आई थी। वह सबसे बड़ा दल था और राष्ट्रपति जी ने संविधान की भावना के तहत सबसे बड़े दल को प्रधानमंत्री की शपथ के लिए बुलाया और 13 दिन सरकार चली। अगर संविधान के स्प्रिट के प्रति हमारी भावना न होती तो हम भी यह बांटों, वह बांटों, यह दे दो, वह दे दो, इसको डिप्टी पीएम बना दो, इसको डिकना बना दो, हम भी सत्ता सुख भोग सकते थे। लेकिन, अटल जी ने सौदेबाजी का रास्ता नहीं चुना, संविधान के सम्मान का रास्ता चुना और 13 दिनों के बाद इस्तीफा देना स्वीकार कर लिया। ... (व्यवधान) यह ऊंचाई है हमारी लोकतंत्र की। इतना ही नहीं वर्ष 1998 में एनडीए की सरकार थी। सरकार चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों को 'हम नहीं तो कोई नहीं', यह एक परिवार का खेल चला है। अटल जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए खेल चले गए। वोट हुआ, खरीद-फरोख्त तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था, लेकिन संविधान की भावना के प्रति समर्पित अटल बिहारी वोजपेयी जी ने एक वोट से हारना पसंद किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन कोई असंवैधानिक कृत्य नहीं किया। ... (व्यवधान) यह हमारा इतिहास है। ये हमारे संस्कार हैं। यह हमारी परंपरा है।

दूसरी तरफ अदालत ने भी जिस पर ठप्पा मार दिया, कैश फॉर वोट का कांड, एक अल्पमत

सरकार को ... (व्यवधान) असंवैधानिक तरीके से सरकार बचाने के लिए भारत के लोकतंत्र की भावना को बाजार बना दिया गया। वोट खरीदे गए। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, 1990 के दशक में कई सांसदों को रिश्त देने का पाप किया गया, क्या यह संविधान की भावना थी? 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो लोकतंत्र पनपा है, उस लोकतंत्र के साथ यह खिलवाड़ ! कांग्रेस के लिए सत्ता सुख, सत्ता की भूख, यही एकमात्र कांग्रेस का इतिहास है और यही कांग्रेस का वर्तमान है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 को एनडीए को सेवा का मौका मिला। संविधान और लोकतंत्र को मजबूती मिली। ये जो पुरानी बीमारियां थीं, उस बीमारी से मुक्ति का हमने एक अभियान चलाया।

यहां से पूछा गया कि हमने भी संविधान संशोधन किए हैं, जी हां। हमने भी संविधान संशोधन किए हैं, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए। आज संविधान की भावना के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ संशोधन किए हैं। हमने संविधान संशोधन किया, क्यों किया? इस देश का ओबीसी समाज तीन-तीन दशकों से ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मांग कर रहा था। ओबीसी के सम्मान के लिए, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए, हमने संविधान संशोधन किया है, हमें यह करने का गर्व है। समाज के दबे, कुचले लोगों के साथ खड़े होना, यह हम अपना कर्तव्य मानते हैं, इसलिए हमने संविधान संशोधन किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग था, वह किसी भी जाति में क्यों न जन्मा हो, लेकिन गरीबी के कारण वह अवसरों को नहीं पा सकता था, आगे बढ़ नहीं सकता था। इसलिए उसमें असंतोष की ज्वाला भड़क रही थी और सबकी मांग रहती थी, कोई निर्णय नहीं करता था। हमने संविधान संशोधन किया, सामान्य जन के गरीब परिवार के 10 प्रतिशत आरक्षण का किया और यह आरक्षण का पहला संशोधन था, देश में कोई विरोध का स्वर नहीं उठा, हर किसी ने उसको प्यार से स्वीकार किया। संसद ने भी सहमति के साथ पारित किया, क्योंकि उसमें समाज की एकता की ताकत पड़ी थी, संविधान की भावनाओं का भाव पड़ा था। सबने सहयोग किया था, तब जाकर यह हुआ था।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जी हां, हमने भी संविधान में संशोधन किए हैं, लेकिन हमने संविधान

में संशोधन किया, महिलाओं को शक्ति देने के लिए, संसद और विधान सभाओं में और संसद का पुराना भवन गवाह है, जब देश महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आगे बढ़ रहा था और बिल पेश हो रहा था, तब उन्हीं का एक साथी दल वेल में आता है, कागज छीन लेता है, फाड़ देता है, सदन स्थगित हो जाता है और वह विषय 40 सालों तक लटका रहता है। वह आज उनका मार्गदर्शक है, जिन्होंने देश की महिलाओं के साथ अन्याय किया है, वह उनका मार्गदर्शक है।...(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने संविधान संशोधन किया, हमने देश की एकता के लिए किया। बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान अनुच्छेद 370 की दीवार के कारण जम्मू-कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था। हम चाहते थे कि बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान हिन्दुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए। इसलिए बाबासाहेब को श्रद्धांजलि भी देनी थी, देश की एकता को मजबूत करना था। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया और अनुच्छेद 370 को हटाया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उस पर मोहर लगा दी है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए संशोधन किया है। हमने ऐसे कानून भी बनाए हैं, जब देश का विभाजन हुआ था, तब महात्मा गांधी जी समेत देश के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जो हमारे पड़ोस के देश हैं, जहां माइनोरिटीज़ हैं, जब भी वह संकट में आएंगी, उनकी चिंता यह देश करेगा। गांधी जी का वचन था। जो उनके नाम पर सत्ता पर चढ़ जाते थे, उन्होंने तो पूरा नहीं किया, हमने सीएल लाकर उसको पूरा किया है।

उस कानून को हम लाए। हमने किया है और गर्व के साथ आज भी हम उसको ओन कर रहे हैं। हम मुंह नहीं छिपाते हैं, क्योंकि देश के संविधान की भावना के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने का काम किया है। जो हमने संविधान संशोधन किए हैं, वे पुरानी गलतियों को ठीक करने के लिए किए हैं और एक उज्ज्वल भविष्य का रास्ता मजबूत करने के लिए किए हैं। समय बताएगा, समय की कसौटी पर हम खरे उतरेंगे, क्योंकि सत्ता स्वार्थ के लिए किया गया पाप नहीं है, देशहित में किया गया पुण्य है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संविधान पर अनेक भाषण हुए और अनेक विषय उठाए गए। हर एक की अपनी राजनीतिक मजबूरियां होंगी और कुछ न कुछ करने के लिए कुछ करते होंगे, लेकिन

हमारा संविधान सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर संवेदनशील रहा है, वह है - भारत के लोग, वी द पीपुल, भारत के नागरिक। संविधान उनके लिए है, उनके हितों के लिए है, उनके कल्याण के लिए है, उनकी गरिमा के लिए है। इसलिए संविधान भारत के कल्याणकारी राज्य के लिए हमें दिशा-निर्देश देता है। कल्याणकारी राज्य का मतलब है, जहां नागरिकों को भी गरिमा प्राप्त हो, उनको गरिमामय जीवन की गारंटी मिलनी चाहिए। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं। उनका सबसे प्रिय शब्द है, जिसके बिना वह जी नहीं सकते हैं, वह शब्द है – जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी, उनको दिन रात जुमला ... (व्यवधान) लेकिन इस देश को पता है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वह चार-चार पीढ़ियों ने चलाया, वह जुमला था – गरीबी हटाओ। ... (व्यवधान) गरीबी हटाओ ऐसा जुमला था, उनकी राजनीति की रोटी तो सिकती थी, लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था। ... (व्यवधान)

आरणीय अध्यक्ष महोदय, जरा कोई मुझे कहे कि आजादी के इतने सालों के बाद क्या एक डिगिटी के साथ जीने वाले परिवार को टॉयलेट उपलब्ध नहीं होना चाहिए? क्या आपको यह काम करने की फुर्सत नहीं मिली? आज देश में टॉयलेट बनाने के अभियान को, जो गरीबों के लिए एक सपना था, उनकी डिगिटी के लिए हमने इस काम को हाथ में लिया और हम उसमें जी-जान से जुटे रहे। मुझे मालूम है कि उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसके बाद भी सामान्य नागरिक के जीवन की गरिमा हमारे दिल और दिमाग में होने के कारण, हम डिगे नहीं, हम अड़े रहे और आगे बढ़ते चले गए, तब जाकर यह सपना साकार हुआ। माताएं, बहनें खुले में शौच को जा रही थीं। वे या तो सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद जाती थीं, लेकिन आपको कभी पीड़ा नहीं हुई। उसका कारण यह था कि आपने गरीबों और गरीबी को टीवी में देखा है, अखबार की सुर्खियों में देखा है। आपको गरीब की जिंदगी का पता नहीं है, वरना आप उसके साथ ऐसा जुल्म नहीं करते। इस देश की 80 प्रतिशत जनता पीने के शुद्ध पानी के लिए तरसती रही।

क्या हमारा संविधान आपको रोकता था? संविधान तो यह चाहता था कि सामान्य मानवी को सुविधाएं दी जाएं। ... (व्यवधान) आदरणीय अध्यक्ष जी, इस काम को भी हमने बहुत समर्पण भाव से

आगे बढ़ाया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश की करोड़ों माताएं चूल्हे में खाना पकाती थीं, जिसके धुएं से उनकी आंखें लाल हो जाती थीं। कहते हैं कि सैंकड़ों सिगरेट के बराबर धुआं, चूल्हे पर खाना पकाते समय शरीर में चला जाता है। इतना ही नहीं कि माताओं-बहनों की आंखें लाल होती थीं, बल्कि उनका शरीर और स्वास्थ्य भी खत्म हो जाता था। धुएं से उनको मुक्त करने का काम हमने किया। वर्ष 2013 तक यह चर्चा चलती थी कि 9 सिलेण्डर देंगे या 6 सिलेण्डर देंगे। इस देश में देखते ही देखते हर घर तक गैस का सिलेण्डर हमने पहुंचा दिया, क्योंकि हमारे लिए हर नागरिक महत्वपूर्ण है।

70 साल के बाद जो बेसिक सुविधाएं हैं, उसकी तरफ, अगर हमारा गरीब परिवार दिन-रात मेहनत करके गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन घर में एक बीमारी आ जाए तो उसका सारा प्लान बेकार हो जाता है, पूरे परिवार की सारी मेहनत पानी में चली जाती है। क्या इन गरीब परिवारों के इलाज के लिए आप सोच नहीं सकते थे? 50-60 करोड़ देशवासियों को मुफ्त इलाज मिले, संविधान की इस भावना का आदर करते हुए हमने आयुष्मान योजना को लागू किया। आज देश में 70 साल से ऊपर के नागरिक के लिए, चाहे वह किसी भी वर्ग से क्यों न हो, उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जरूरतमंदों को राशन देने की बात का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करने में सफल हुए हैं तो फिर हम से सवाल पूछा जाता है कि आप गरीब को फ्री राशन क्यों दे रहे हो? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो गरीबी से निकल के आया है, उसे पता होता है कि अस्पताल से जब पेशेंट को छुट्टी दी जाती है तो डॉक्टर उसे कहता है कि आप घर जाइए, आपकी तबियत ठीक है, ऑपरेशन अच्छा हुआ है, लेकिन महीने भर के लिए यह-यह संभालना और यह-यह मत करना। ऐसा इसलिए ताकि पेशेंट दोबारा तकलीफ में न आए। गरीब दोबारा गरीब न बने इसलिए उसकी हैण्ड होल्डिंग जरूरी है। इसीलिए हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। उसका मजाक मत उड़ाओ। क्योंकि जो गरीबी से बाहर निकला है, उसे हमें दोबारा गरीबी में नहीं जाने देना है और जो अभी-अभी गरीबी में है, उसे हमें गरीबी से बाहर लाना है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में गरीबों के नाम पर जो जुमले चले, उन्हीं गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किया गया गरीबों के नाम पर लेकिन वर्ष 2014 तक इस देश के 50 करोड़ नागरिक ऐसे थे, जिन्होंने बैंक का दरवाजा तक नहीं देखा था। ... (व्यवधान) गरीब को बैंक में प्रवेश तक नहीं था। यह पाप आपने किया। आज 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोलकर के हमने बैंक के दरवाजे गरीब के लिए खोल दिए हैं। ... (व्यवधान) एक प्रधान मंत्री कहते थे कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन उनको उपाय नहीं आता था। उपाय हमने दिखाया। आज दिल्ली से एक रुपया निकलता है और सौ के सौ पैसे गरीब के खाते में जाते हैं। ... (व्यवधान) हमने बैंक का सही इस्तेमाल कैसे करना है? बैंक का सही उपयोग कैसे करना है? वह हमने दिखाया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मोबाइल न देखें।

श्री नरेन्द्र मोदी : बिना गारंटी के ऋण- जिन लोगों को बैंक के दरवाजे तक जाने की इजाजत नहीं थी, आज हमारी स्थिर सरकार का संविधान के प्रति जो समर्पण है, उसकी वजह से आज गरीब बिना गारंटी के बैंक से लोन ले सकता है। यह ताकत हमने गरीब को दी है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, गरीबी हटाओं का जुमला इसी के कारण जुमला बनकर के रह गया। गरीब को इस मुश्किल से मुक्ति मिले, यह हमारा बहुत बड़ा मिशन है और यह हमारा संकल्प है और हम इसके लिए दिन-रात एक कर रहे हैं। जिनको कोई नहीं पूछता, उनको मोदी पूजता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा दिव्यांगजन हर दिन संघर्ष करता है। अब जाकर के हमारे दिव्यांग को फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसकी व्हील चेयर आगे तक जाए, ट्रेन के डिब्बे तक जाए, यह व्यवस्था दिव्यांगजन के लिए करने का हमारे दिल में तब आया, क्योंकि समाज के दबे-कुचले, वंचित लोगों की चिंता करना हमारे मन में था और यह तब हुआ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आप मुझे बताइए, एक तो भाषा के नाम पर झगड़ा करना तो आपने सिखा दिया, लेकिन मेरे दिव्यांगजनों के साथ कितना अन्याय किया। हमारे यहां पर साइन लैंग्वेज की जो व्यवस्था है, खासकर मूक-बधिर के लिए है। अब दुर्भाग्य ऐसा देश का कि असम में जो भाषा सिखाई

जाए, उत्तर प्रदेश में दूसरी सिखाई जाए। उत्तर प्रदेश में दूसरी सिखाई जाए तो महाराष्ट्र में तीसरी सिखाई जाए। हमारे दिव्यांगजनों के लिए एक साइन लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी था। आजादी के सात दशक बाद भी उनको उन दिव्यांगजनों की याद नहीं आई। एक कॉमन साइन लैंग्वेज बनाने का काम हमने किया, जो आज देश के मेरे सभी दिव्यांग भाई-बहनों के लिए काम आ रही है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू जन समूह, समाज में इन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। उनके कल्याण के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने का काम हमने किया, क्योंकि ये लोग संविधान की प्राथमिकता हैं। हमने उनको दर्जा देने का काम किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हर कोई रेहड़ी-पटरी के लोगों से जानता है। हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर फ्लैट में, हर सोसाइटी में सुबह होते ही वह रेहड़ी-पटरी वाला आकर के, मेहनत करके लोगों का जीवन चलाने में मदद करता है। वह बेचारा 12-12 घंटे काम करे, रेहड़ी भी किसी से किराए पर ले ले, किसी से ब्याज से पैसा ले, पैसे से सामान खरीदे, शाम को ब्याज खाऊ पैसा ले जाए और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के लिए ब्रेड का टुकड़ा ले जा सके, यह हालत थी। यह हमारी सरकार है कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 'स्वनिधि योजना' बनाकर बैंक से उनको बिना गारंटी लोन देने का काम शुरू किया और आज उस 'स्वनिधि योजना' के कारण वह तीसरे राउंड तक पहुंचा है और अधिकतम लोन बैंक से, उसको सामने से मिल रहा है। उसकी प्रतिष्ठा और उसका विस्तार हो रहा है, विकास भी हो रहा है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश में हममें से कोई ऐसा नहीं होगा, जिसको विश्वकर्मा की जरूरत न पड़ती हो। समाज की व्यवस्था में एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनी थी, सदियों से चली आ रही थी, लेकिन उसे विश्वकर्मा साथियों के लिए कभी पूछा नहीं गया। हमने विश्वकर्मा के कल्याण के लिए योजना बनाई। बैंक से लोन लेने की व्यवस्था की। उनको नई ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की। उनको आधुनिक टूल्स देने की व्यवस्था की, नई डिजाइन से काम बनाने की चिंता की और उसको हमने मजबूत बनाने का काम किया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, ट्रांसजेंडर, जिसको परिवार ने दुत्कार दिया, जिसको समाज ने दुत्कार

दिया, जिसकी कोई चिंता करने वाला नहीं था, यह हमारी सरकार है कि इसको भी भारत के संविधान ने हक दिए हैं। उस ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए कानून और व्यवस्थाएं बनाने का काम भी हमने किया है। उनको गरिमापूर्ण जीवन मिले, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमने काम किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा आदिवासी समाज, इतनी सारी बातें कर लिए, मुझे याद है कि जब मैं गुजरात का मुख्य मंत्री बना तो हमारे यहां उमरगाम से अम्बाजी तक एक पूरा बैल्ट, गुजरात का पूरा पूर्वी हिस्सा आदिवासी बैल्ट है। एक कांग्रेस के मुख्य मंत्री आदिवासी रह चुके हैं। इतने सालों के बाद भी उस पूरे इलाके में एक भी साइंस स्ट्रीम का स्कूल नहीं था।

मेरे आने से पहले एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं। अगर साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं है, तो कितनी आरक्षण की बातें करो, वे बेचारे इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। यह मैंने उस इलाके में काम किया और वहां साइंस स्ट्रीम स्कूल्स हैं। अब तो वहां यूनिवर्सिटीज भी बन गई हैं। यानी राजनीति की चर्चा करना, संविधान के अनुरूप काम न करना, यह जिनकी सत्ता भूख है न, उसका। हमने आदिवासी समाज में भी जो अति पिछड़े लोग हैं और मैं राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं उन्होंने मेरा काफी मार्गदर्शन किया। राष्ट्रपति महोदया ने मेरा मार्गदर्शन किया और पीएम - जनमन योजना में भी। हमारे देश में बिखरे-बिखरे आदिवासी समाज के छोटे-छोटे समूह हैं, जो आज भी, आज भी उनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई थी। हमने ढूंढ-ढूंढ कर, संख्या बहुत कम है, वोट की राजनीति में उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन मोदी है, जो आखिर को भी पूछता है। इसलिए हमने उनके लिए पीएम-जनमन योजना के द्वारा उनका विकास किया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसे समाजों में उनके विकास संतुलित होने चाहिए। पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी संविधान अवसर देता है, जिम्मेवारी भी सरकार को देता है। उसी प्रकार से कोई भू-भाग भी, कोई हमारा ज्योग्राफिकल इलाका भी, वह पीछे नहीं रहना चाहिए और हमारे देश में किया क्या, 60 सालों के दरम्यान 100 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई करके कह दिया कि ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का ऐसा लेबल लग गया कि किसी की ट्रांसफर होती थी, तो वह कहता था – पनिशमेंट पोस्टिंग, तो कोई जिम्मेवार अफसर नहीं जाता था। हमने पूरी स्थिति को बदल दिया।

हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की एक कल्पना रखी और 40 पैरामीटर पर, ऑनलाइन रेग्युलर मॉनिटरिंग करते रहे और आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स उस राज्य के अच्छे जिलों की बराबरी करने लग गए और कुछ तो नेशनल एवरेज की बराबरी करने लगे। भू-भाग भी पीछे न रहे। इसको आगे ले जा करके हमने पांच सौ ब्लॉक्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक्स बना करके उनके डेवलपमेंट पर स्पेशल फोकस करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं हैरान हूँ कि जो लोग बड़ी-बड़ी कथाएं सुनाते हैं, क्या इस देश में आदिवासी समाज वर्ष 1947 के बाद आया? जब राम और कृष्ण थे, तब आदिवासी समाज नहीं था। जो आदिवासी समाज को हम आदिवासी पुरुष, भील पुरुष भी कहते हैं, लेकिन आजादी के कई दशकों के बाद भी इतना बड़ा आदिवासी समूह, उनके लिए अलग मंत्रालय नहीं बनाया गया। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और उन्होंने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाया, अलग आदिवासियों के विकास और विस्तार के लिए बजट दिया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, क्या हमारा मछुआरा समाज अभी-अभी आया है? क्या उन पर आपकी नजर नहीं गई। इन मछुआरा समाज के कल्याण के लिए पहली बार हमारी सरकार ने आकर के फिशरीज का अलग मंत्रालय बनाया। उनके कल्याण के लिए अलग से हमने बजट दिया। समाज के इस तबके की चिंता की।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे देश का छोटा किसान उसके जीवन में सहकारिता एक मुख्य अंग है। छोटे किसान की जिंदगी को सामर्थ्य देने के लिए सहकारी क्षेत्र को जिम्मेवार बनाना, सहकारी क्षेत्र को सामर्थ्यवान बनाना, सहकारी क्षेत्र को बल देना, इसकी महात्म्य हम समझते हैं। क्योंकि छोटे किसान की चिंता हमारे दिल में थी और इसलिए हमने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। हमारे सोचने का तरीका क्या है? हमारे देश में नौजवान हैं। पूरा विश्व आज वर्कफोर्स के लिए तरस रहा है। देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना है तो हमारे इस वर्कफोर्स को स्किल्ड बनाना चाहिए। हमने अलग स्किल्ड मंत्रालय बनाया ताकि दुनिया की आवश्यकता के अनुसार मेरे देश के नौजवान तैयार हों और विश्व के साथ आगे बढ़ें।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा नॉर्थ ईस्ट, इसलिए की वहां वोट कम है, सीटें कम हैं, इसकी कोई परवाह नहीं है। यह अटल जी की सरकार थी जिसने पहली बार नॉर्थ-ईस्ट के कल्याण के लिए डोर्नियर मंत्रालय की व्यवस्था की। आज उसका परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास की नई चीजों को हम प्राप्त कर पाएं। इसी के कारण रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट – ये बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भी दुनिया के देशों में लैंड रिकॉर्ड को लेकर, समृद्ध देशों को भी कई संकट हैं। हमने, गांव के हर सामान्य व्यक्ति को, अपना लैंड रिकॉर्ड, उसके घर के मालिकी के हक का कागज नहीं है, उसके कारण उसको बैंक से लोन चाहिए हो, कहीं बार जाए तो कोई कब्जा कर लेगा, एक स्वामित्व योजना बनाई और देश के, गांव के ऐसे समाज के दबे-कुचले लोगों को वह कागज हम दे रहे हैं, जिसके कारण उसका मालिकी हक बन रहा है। वह स्वामित्व योजना एक बहुत बड़ा कदम है। ... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इन सारे कामों के कारण पिछले दस वर्ष में हमने जो प्रयास किया, हमने जिस प्रकार से गरीब को मजबूती देने का काम किया है, हमने जिस प्रकार से गरीब के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है, और एक सही दिशा में चलने का परिणाम है कि आज इतने कम समय में मेरे देश के 25 करोड़, मेरे गरीब साथी गरीबी को परास्त करने में सफल हुए हैं और हमें इस बात का गर्व है। मैं संविधान निर्माताओं के सामने सर झुका कर कहता हूं, जो संविधान हमें दिशा दे रहा है, उसके तहत मैं यह काम कर रहा हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो वह नारा नहीं है। वह हमारा आर्टिकल ऑफ फेथ है। इसीलिए हमने सरकार की योजनाएं भी बिना भेदभाव के चलाने की दिशा में काम किया है और संविधान हमें भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। इसीलिए हमने आगे चलकर कहा है— सेचुरेशन, जिसके लिए जो योजना बनी है, उसका लाभ उन लाभार्थी को, 100 परसेंट लाभार्थी को मिलना चाहिए। यह सेचुरेशन, अगर सच्चा सेकुलरिज्म कोई है न, तो यह सेचुरेशन में है। अगर सच्चा सामाजिक न्यास किसी में है, तो यह सेचुरेशन में है। 100 प्रतिशत, शत-प्रतिशत उसको

बेनिफिट, जिसका हक है, मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। यह भाव लेकर हम सच्चे सेकुलरिज्म को और सच्चे सामाजिक न्याय को लेकर जी रहे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, समाधान के हमारे एक और स्पिरिट हुई है और हमारे देश को दिशा देने का माध्यम है। देश को चालक बल के रूप में राजनीति केन्द्र में रहती है, आने वाले दशकों में हमारा लोकतंत्र, हमारी राजनीति की दिशा क्या होनी चाहिए, आज हमें मंथन करना चाहिए।

आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता का भाव, मैं जरा उनसे पूछना चाहता हूँ। क्या वे कभी अपने आपको और मैं सभी दलों के लिए कह रहा हूँ। उधर और इधर यह मेरा विषय नहीं है। ये मेरे मन के विचार हैं, जो मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। क्या इस देश में योग्य नेतृत्व को अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, क्या उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे? क्या देश को लोकतंत्र के स्पिरिट को परिवारवाद ने गहरा नुकसान किया है कि नहीं किया है? क्या परिवारवाद से भारत के लोकतंत्र की मुक्ति का अभियान चलाना यह संविधान के तहत हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है और इसीलिए समानता के सिद्धांत की बात कही है, अवसर की बात कही है, हिन्दुस्तान के हर किसी को ... (व्यवधान) और जो परिवारवादी राजनीति है, उनकी धुरी ही परिवार होता है, सब कुछ परिवार के लिए होता है। देश के नौजवानों को आकर्षित करने के लिए, लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए और देश के युवाओं को आगे आने के लिए हम सभी राजनीति दलों को प्रयास करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों ने, जिनकी पार्श्वभूमि में राजनीतिक परिवार नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड को लाने के लिए प्रयास करना, मैं मानता हूँ कि देश के लोकतंत्र की और इसीलिए मैंने लाल किले से कहा है कि मैं एक विषय लेकर लगातार बोल रहा हूँ, बोलता रहूँगा।

ऐसे एक लाख नौजवानों को देश की राजनीति में लाना है, जिनके किसी भी परिवार का बैकग्राउंड राजनीतिक परिवार का नहीं है। इसलिए देश को एक फ्रेश एयर की जरूरत है, देश को नयी ऊर्जा की जरूरत है, देश को नये संकल्प और सपने लेकर आने वाले युवकों की जरूरत है। जब हम भारत के संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं, तो हम इस दिशा में आगे बढ़ें।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है, मैंने एक बार लाल किले से संविधान में, हमारे कर्तव्य को लेकर उल्लेख किया था। मैं हैरान हूँ कि जिनको संविधान का 'स' समझ में नहीं आता है, वे कर्तव्य का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। मैंने दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा है, जिसको इसमें भी ऐतराज हो सकता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, हमारे संविधान ने नागरिकों के अधिकार तय किये हैं, लेकिन संविधान को हमसे कर्तव्य की भी अपेक्षा है। हमारी सभ्यता का सार है- कर्म-ड्यूटी-कर्तव्य। यह हमारी सभ्यता का सार है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा जी का कोट है, उन्होंने कहा था:

“मैंने अपनी अशिक्षित लेकिन विद्वान माँ से सीखा है कि हम अपने कर्तव्यों को जितना अच्छे से निभाते हैं, उसी से अधिकार निकल करके आता है।”

मैं महात्मा जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें, तो कोई भी हमें विकसित भारत बनाने से नहीं रोक सकता है।

संविधान का 75वाँ वर्ष कर्तव्य के प्रति हमारे समर्पण भाव को, हमारी प्रतिबद्धता को और ताकत दे। देश कर्तव्य-भावना से आगे बढ़े। यह मैं जानता हूँ, यह समय की माँग है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के भविष्य के लिए संविधान की स्प्रिट से प्रेरित होकर, मैं आज इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूँ:

पहला संकल्प है- चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

दूसरा संकल्प है- हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ सबका विकास हो।

तीसरा संकल्प है- भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो।

चौथा संकल्प है- देश के कानून, देश के नियम, देश की परम्पराओं के पालन में, देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो।

पाँचवाँ संकल्प है- गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो।

छठा संकल्प है- देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले ।

सातवाँ संकल्प है- संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए ।

आठवाँ संकल्प है- संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए, जिनको आरक्षण मिल रहा है, वह न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे ।

नौवाँ संकल्प – ‘वूमेन लेड डेवलपमेंट’ में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने । ... (व्यवधान)

दसवाँ संकल्प – राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, यह हमारा विकास का मंत्र हो ।

ग्यारहवाँ संकल्प – ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का ध्येय सर्वोपरि हो । ... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी संकल्प के साथ हम सब मिलकर अगर आगे बढ़ते हैं, तो संविधान की जो निहित भावना है – ‘We the People’, सबका प्रयास, हम इसी मंत्र को लेकर आगे चलें और ‘विकसित भारत’ का सपना इस सदन में बैठे हुए सबका तो होना ही चाहिए, 140 करोड़ देशवासियों का जब सपना बन जाता है और संकल्प लेकर जब देश चल पड़ता है, तो इच्छित परिणाम लेकर रहता है । ... (व्यवधान) 140 करोड़ देशवासियों के प्रति मेरी अपार श्रद्धा रही है, उनके सामर्थ पर मेरी श्रद्धा है, देश की युवाशक्ति पर मेरी श्रद्धा है, देश की नारीशक्ति पर श्रद्धा है । इसीलिए, मैं कहता हूँ कि देश जब वर्ष 1947 में आजादी के 100 साल मनाएगा, तो ‘विकसित भारत’ के रूप में मनाएगा । ... (व्यवधान) इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें । मैं फिर एक बार इस महान और पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूँ ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने समय बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।